<u>न्यायालय</u> : <u>अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डेगाना, जिला नागौर

''पीडिता'' बनाम राजस्थान राज्य एफ.आई.आर. नं. 201/16 पुलिस थाना डेगाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.01.2024	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। परिवादिया अनुपस्थित। परिवादिया अधिवक्ता श्रीमति हर्षा चौधरी उपस्थित। बहस प्रसंज्ञान दिनांक 07.08.2023 को सुनी गई। आज मजीद बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण अपराध धारा 354 भा.द.स. है। जो स्त्री लज्जा का अनादरण से सम्बन्धित है। अतः परिवादिया को सम्पूर्ण आदेश में **''पीडिता''** से सम्बोधित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **<u>साक्षी बनाम भारत संघ रिट पिटीशन क्रिमिनल 33/1997 निर्णय दिनांक 26.05.2004</u>** अवलोकनीय है जिसमें धारा 354 भा.द.स. के अपराध में भी पीडित की पहचान उजागर नहीं किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण के **संक्षेप तथ्य** इस प्रकार है कि दिनांक 09.12.2016 को वक्त शाम 5 बजे पीडिता उसके पति बच्चों के साथ घर में बैठे थे तब मांझी में स्थित उनके उक्त मकान में अपराध करने के आशय से हाथों में लाठियां लेकर मुलजिमान धर्माराम, लिछमणराम, रामनिवास, भरत, गणपतलाल, खेमचंद, भंवरलाल उन्हें मां बहिन की फायसा गालियां निकालते हुये घर में अनाधिकृत प्रवेश होकर उनके साथ लाठियों से मारपीट शुरू कर दी। मुलजिम धर्माराम ने पीडिता को बाथ में लेकर उसके घर में चौक में घसीटते हुये मारपीट करने लगा व मुलजिम धर्माराम ने बाल पकड कर मारपीट शुरू की। इस बीच मुलजिम लिछमण ने पीडिता के ऊपर बैठ कर पीडिता के कपडे फाडकर पीडिता की लज्जा भंग की। पीडिता के चिल्लाने पर पीडिता के पति जगदीश प्रसाद व पीडिता के जेठ हडमान छुडाने आये जिनके साथ में मुलजिम रामनिवास, गणपताल, भरत ने थापा मुक्कों से मारपीट कर नीचे गिरा दिया व नीचे पडे के लातों घुसों से मारपीट शुरू कर दी। मुलजिम खेमचंद व भंवरलाल ने घर में पडी ईटे उठाकर उनके उपर ईटों से वार करने लगे। मुलजिम धर्माराम ने पीडिता के नीचे पडी के कण्ठ भीचकर जान से मारने लगा आदि। चिल्लाने पर ओमप्रकाश, डुंगाराम, चेतन ने बीच–बचाव कर छुडाया। प्रकरण का नतीजा अदम वकु (झूठा) में पेश किया। पीडिता उपस्थित। आकर विरोध स्वरूप प्रार्थना–पत्र पेश कर साक्ष्य परिवादिया में स्वयं पीडिता ने बयान अंतर्गत धारा 200 द.प्र.स. तथा परिवादिया साक्ष्य में गवाहान हडमानरम, डूंगाराम, चैतन, ओमप्रकाश के बयान अंतर्गत धारा 202 द.प्र.स. में लेखबद्ध करवाये। पीडिता ने धारा 200 द.प्र.स. तथा बयान धारा 164 द.प्र.स. में प्रथम सूचना रिपोर्ट की ताईद कर साधारण उपहति व आपराधिक बल प्रयोग कर लज्जा भंग आदि की साक्ष्य दी। <u>गवाह हडमानराम</u> ने मौखिक साक्ष्य में कथन किया कि सभी मुलजिमान मेरे भाई व उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे थे। <u>लक्ष्मण व नारायणराम ने मेरे भाई की पत्नी के उपर बैठकर उसका गला दबा रहे थे तथा उसका ब्लाउज फाड दिया व उसकी लज्जा भंग की।</u> मैंने बीच बचाव किया तो मेरे साथ भी मारपीट की। <u>गवाह डूगाराम</u> ने मौखिक रूप से साक्ष्य दी कि सभी मुलजिमान ने मेरे काका व काकी के साथ मारपीट की। मारपीट लाठियों व थापो मुक्कों से की। <u>धर्माराम व नारायणराम</u>	

ने मेरी काकी का ब्लाउज फाड दिया व उसकी लज्जा भंग की। लक्ष्मण ने मेरी काकी का गलता दबाकर उन्हें मारने की कोशिश की। गवाह चेतन ने मौखिक साक्ष्य में कथन किया कि मुलजिमान धर्माराम, रामनिवास, नारायण, लक्ष्मण, गणपत, मोहन व खेमचंद हाथों में लाठियां लेकर गाली गलौच करते हुये मेरे काका के घर में घुसे व उनके साथ लाठियों व थाप मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी। मेरी काकी को धर्माराम ने बाथ पकडकर घसीटा। मुलजिम लक्ष्मण ने मेरी काकी के उपर बैठकर गला दबाकर उन्हें मारने की कोशिश की। मुलजिम नारायण ने मेरी काकी के कपडे फाड दिये व लज्जा भंग की। गवाह ओमप्रकाश ने मौखिक साक्ष्य में कथन किया कि धर्माराम, लिछमणराम, रामनिवास, नारायण, गणपतलाल हाथों में लाठियां लेकर मेरे काका के घर मे घुस गये। इन सभी ने मेरे काका व काकी के साथ मारपीट की। धर्माराम ने मेरी काकी को बाथ में पकड लिया। मेरी काकी का गला पकड कर उन्हें मारने की कोशिश की। लक्ष्मण व नारायण ने मेरी काकी का ब्लाउज फाड दिया। पीडिता ने धारा 164 द.प्र.स. के बयान में कथन किया कि लक्ष्मणराम ने मेरे रूगटे पकडे। नारायणराम ने मेरा ब्लाउज फाड दिया तथा पीडिता ने धारा 200 द.प्र.स. के बयानों में कथन किया कि लक्ष्मण व नारायण ने मेरे कपडे फाड दिये। धर्माराम ने मेरा गला दबाकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। नारायणराम ने मेरा ब्लाउज फाड दिया।

अंतिम प्रतिवेदन के आधार संख्या 1 में देरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करना बताया। लेकिन घटना करीब 5 बजे की है। घटनास्थल गांव है। परिवहन के साधन सुलभ होने में समय लग सकता है। जो देरी का आधार बताया है। वो कतई संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है। आधार संख्या 2 में मेडिकल करवाने का प्रश्न है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज के पश्चात् अनुसंधान अधिकारी को आहतगण का मेडिकल करवाना चाहिये था जिसका दोष पीडिता व आहतगण पर नहीं डाला जा सकता है। अन्य आधार संख्या 3 व 4 भी कोई ठोस प्रतीत नहीं होते हैं।

अतः पीडिता व गवाहान के बयानों से नारायणराम के द्वारा आपराधिक बल प्रयोग कर स्त्री लज्जा का अनादर करने की स्पष्ट साक्ष्य है। शेष मुलजिमान धर्माराम, रामनिवास, लिक्ष्मणराम, गणपतलाल, खेमचंद, भंवरलाल, नारायण के द्वारा साधारण उपहति व उपहति, हमला, सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह अतिचार व विधि विरूद्ध जमाव, गाली गलौच की प्रथम दृष्टया साक्ष्य अंतिम प्रतिवेदन पत्रावली पर मौजूद है। प्रसंज्ञान के स्तर पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य ही देखा जाना होता है न की बारीकी से।

लिहाजा **नारायणराम के विरूद्ध अपराध धारा 354, 323, 143, 504, 452 भा.द.स.** तथा **शेष मुलजिमान धर्माराम, रामनिवास, लिक्ष्मणराम, गणपतलाल, खेमचंद, भंवरलाल के विरूद्ध अपराध धारा 323, 143, 504, 452 भा.द.स. में प्रसंज्ञान लिया जाता है।** प्रकरण दर्ज रजिस्टर मूल फौजदारी हो। राजस्थान राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी पैरोकारी करे तथा गवाहान सूची प्रस्तुत करें। केस डायरी सम्बन्धित थाना को लौटायी जावें। अंतिम प्रतिवेदन पत्रावली इसी अनुसार निस्तारित की जाती है। आदेश सुनाया गया।

अभियुक्तगण को जरिये सम्मन् तलब किया जाकर पत्रावली हाजरी मुलजिमान में दिनांक 01.03.2024 को पेश हो। आदेश की प्रति (Web Copy) ई–कोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की जावें।

(मदनलाल बालोटिया)